A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

पीठासीन अधिकारी–

श्री घनश्याम शर्मा
आर.ए.एस

मिसल संख्या	तारीख दायर	तारीख फैसला
04 / अपील / 2023	13.02.2023	28.06.2024

1. प्रेमबाई पत्नि स्व. धन्नालाल जाति धाकड़
2. गोपाल पुत्र स्व. धन्नालाल जाति धाकड़
3. ओमप्रकाश पुत्र स्व. धन्नालाल जाति धाकड़

} निवासीगण भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

4. बद्री देवी पुत्री स्व. धन्नालाल जाति धाकड़ पत्नि हंसराज हाल निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक।
5. कमलाबाई पुत्र स्व. धन्नालाल जाति धाकड़ पत्नि धर्मराज हाल निवासी अरनेठा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

–अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित–

अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 5 की ओर से–श्री जितेन्द्र कुमार जैन एड.
रेस्पोडेन्ट की ओर से–पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार हिण्डोली द्वारा तस्दीकशुद्धा नामान्तरकरण संख्या 602 दिनांक 28.09.2005 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। अपीलाधीन नामान्तरकरण की कृषि भूमि खसरा संख्या 1326/62 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित हैं। अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय धन्नालाल आ. देवीलाल जाति धाकड़ निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के द्वारा दिनांक 20.09.2005 को उक्त आराजी खसरा संख्या 1326/62 रकबा 4 बीघा में से उनके हिस्से के सम्पूर्ण खाते में से 1/40 हिस्सा देवलाल आ. नाथूलाल धाकड़ निवासी ग्राम भवानीपुरा को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान किया गया था। उक्त नामान्तरकरण तस्दीक करते समय सहवन से 1/40 हिस्से के स्थान पर 1/20 हिस्सा अंकित कर दिया गया जो त्रुटिपूर्ण हैं जिससे अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गयी। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें अवगत कराया कि अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय धन्नालाल आ. देवीलाल जाति धाकड़ निवासी भवानीपुरा

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

A6/2

तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के द्वारा उक्त आराजी खसरा संख्या 1326/62 रकबा 4 बीघा में से उनके हिस्से के सम्पूर्ण खाते में से 1/40 हिस्सा देवलाल आ. नाथूलाल धाकड़ निवासी ग्राम भवानीपुरा को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.09.2005 से बेचान किया गया था। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 602 दिनांक 28.09.2005 तस्दीक किया गया था किन्तु सहवन से क्रेता देवलाल का हिस्सा 1/40 के स्थान पर 1/20 हिस्सा अंकित कर दिया गया जो त्रुटिपूर्ण हैं। धन्नालाल (मृतक) अपीलान्ट के पिता थे जिनका स्वर्गवास दिनांक 24.02.2022 को हो गया जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 602 दिनांक 28.09.2005 ग्राम भवानीपुरा तहसील हिण्डोली निरस्त किया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान व्यक्त किया कि अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित हैं।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णित किया जाना उचित समझते हैं, जहां अपील में पक्षकारान के सारभूत तथ्य निहित हो वहां अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर गुजरी अवधि को मुजरा किया जाता हैं। अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय धन्नालाल आ. देवीलाल जाति धाकड़ निवासी भवानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा उक्त आराजी खसरा संख्या 1326/62 रकबा 4 बीघा में से उनके हिस्से के सम्पूर्ण खाते में से 1/40 हिस्सा देवलाल आ. नाथूलाल धाकड़ निवासी ग्राम भवानीपुरा को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.09.2005 से बेचान किया गया था। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 602 दिनांक 28.09.2005 तस्दीक किया गया था किन्तु सहवन से क्रेता देवलाल का हिस्सा 1/40 के स्थान पर 1/20 हिस्सा अंकित कर दिया गया जो पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार त्रुटिपूर्ण हैं। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तर्क से सहमत होते हुये इस संबंध में प्रकरण का पुनः परीक्षण अधीनस्थ न्यायालय से करवाया जाना उचित समझते हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप उपरोक्त विश्लेषणानुसार अपील सारवान पाऐ जाने से अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 602 दिनांक 28.09.2005 ग्राम भवानीपुरा तहसील हिण्डोली को निरस्त किया जाता हैं। साथ ही प्रकरण को इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि वह सम्पूर्ण विधिक जांच कर नये सिरे से अपना निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

अति. जिला कलक्टर,
बूंदी